

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 187 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2017 — वैशाख 15, शक 1939

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-40/2016/32. — छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप-धारा (3) की सहपठित धारा 85 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जावेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. एम-5/11, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में, -

1. नियम 23 में, शब्द “एक वर्ष तक विधिमान्य रहेगी” के स्थान पर, शब्द “तीन वर्ष तक विधिमान्य रहेगी” प्रतिस्थापित किया जाये.
2. नियम 49 में, के उप-नियम (1) में, सारणी 4 में, सरल क्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“2.	स्वास्थ्य सुविधाएं	स्वास्थ्य केन्द्र	प्रत्येक 16000 की जनसंख्या के लिये 1	1.0 हेक्टेयर, आवासीय कर्मचारी आवास गृहों सहित
		सामान्य चिकित्सालय	प्रत्येक 80000 की जनसंख्या के लिये 1	4.0 हेक्टेयर, सहायक सामग्री तथा कर्मचारी आवास गृहों सहित 200 बिस्तरों के लिए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		विशेषज्ञ चिकित्सालय	प्रत्येक 4000 की जनसंख्या के लिये 1	1.0 हेक्टेयर
		नर्सिंग होम	प्रत्येक 16000 की जनसंख्या के लिये 1	0.06 हेक्टेयर
		क्लीनिक	प्रत्येक 1000 की जनसंख्या के लिये 1	0.0018 हेक्टेयर”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2017

क्रमांक एफ 7-40/2016/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02-05-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 2nd May 2017

#### NOTIFICATION

No. F 7-40/2016/32.— The following further draft amendment in the Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 read with sub-section (1) of Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby, published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours, by Office of the Principal Secretary, Department of Housing and Environment, Government of Chhattisgarh, Room No. M-5/11, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

#### DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

- In rule 23, for the words “remain valid upto one year”, the words “remain valid upto three years” shall be substituted.

2. In rule 49, in sub-rule (1), in Table 4, for serial number 2 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2.	Health facilities	Health Centre	1 for every 16000 population	1.0 hectare with residential staff quarters
		General Hospital	1 for every 80000 population	4.0 hectare for 200 beds with ancillaries and staff quarters.
		Specialized Hospital	1 for every 4000 population	1.0 hectare
		Nursing Home	1 for every 16000 population	0.06 hectare
		Clinic	1 for every 1000 population	0.0018 hectare"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REGINA TOPPO, Joint Secretary.